राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या–54 / 2021

सदीक मोहम्मद

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
3. कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर।
4. विकास अधिकारी, महोदय पंचायत समिति मसूदा जिला अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

T

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.07.2021
आदेश की दिनांक : 08.02.2024

उपस्थित :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री गोपाल आचार्य, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्ष 1995 से पूर्व संविदा हेण्डपम्प मिस्त्री के पद पर कार्यरत था तथा हैण्ड पम्प मिस्त्री प्रशिक्षण प्राप्त कर कुशल संविदा हेण्ड पम्प मिस्त्री था। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17–10–1995 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के निर्णय दिनांक 28–08–1991 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25–08–1995 की अनुपालना में सविदा हेण्डपम्प मिस्त्रीयों को दिनांक 01–01–1991 से राज्य सरकार द्वारा घोषित मजदूरी दर से भुगतान करने के संदर्भ में एक पत्र दिनांक 17–06–1995 एवं दिनांक 26–06–1995 के क्रम में निर्देशित करते हुए कुशल श्रमिकों की वेतन श्रृंखला दिये जाने बाबत आदेश पारित किया था। आदेश दिनांक 17–10–1995 जो अनुलग्नक–1 पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30–12–1995 (अनुलग्नक–2) के क्रम में पंचायत समिति में कार्यरत समस्त संविदा हेण्डपम्प मिस्त्रीयों की सेवा नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में दायर याचिका सं० 4656/1990 राधेश्याम धोबी बनाम राजस्थान राज्य एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० राजस्थान राज्य बनाम रतनलाल गौहर (गुर्जर) के निर्णय दिनांक 25–08–1995 की अनुपालना में हेण्डपम्प मिस्त्रीयों को वेतन श्रृखला 750–940 (1) का लाभ दिनांक 01.01.1996 से देते हुए पंचायत समितियों के कर्मचारी के पद पर नियमित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19–02–1996 (अनुलग्नक–3) के आदेशानुसार हेण्डपम्प मिस्त्रीयों को दिनांक 31–12–1995 को दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप वेतन श्रृंखला 750–940 का लाभ एवं नियमानुसार महगाई भत्तों पर दिनांक 01–01–1996 से नियुक्ति दी गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03–09–1998 (अनुलग्नक–4) जारी किया जाकर आदेश दिनांक 30–12–1995 के क्रम में हेण्ड पम्प मिस्त्रीयों को राज्य सरकार के कर्मचारी मानते हुए राजस्थान सेवा नियम के तहत समस्त सेवालाभ एवं परिलाभ दिये जाने की स्वीकृति जारी की गई। हेण्डपम्प मिस्त्रीयों का वेतन श्रृंखला 750–940 का लाभ दिये जाने के संबध में जारी किये गये विभागीय आदेश दिनांक 30–12–1995 तथा आदेश दिनांक 03.09.1998 के क्रम में ऐसे हेण्डपम्प मिस्त्रीयों को, जिन्हें वेतन श्रृंखला का लाभ दिया जा चुका है उन्हें आदेश दिनांक 10.09.1998 (अनुलग्नक–5) जारी कर स्थाई यात्रा भत्ता एवं दैनिक यात्रा भत्ता का परिलाभ दिया जाना स्वीकृत किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 के साथ सपठित धारा 89 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राज० पचायत राज० नियम 1996 को संशोधित कर राज० पंचायत राज संशोधन नियम 2006 पारित किया जाकर नियम 258 का संशोधन किया जाकर फीटर व हेण्डपम्प मिस्त्रीयों को मंत्रालयिक सेवा में विधमान पद को जोड़ा गया तथा इसी प्रकार नियम 259 का संशोधन कर हेण्ड पम्प मिस्त्रीयों का पद राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30–12–1995 के अनुसार पंचायत समिति में नियमित हेण्डपम्प मिस्त्रीयों में से भरा जायेगा जोडा जाकर अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई 2006 जारी की गई (अनुलग्नक–6)। उक्त आदेश एवं अधिसूचना जारी कर हेण्डपम्प मिस्त्रीयों को पंचायतीराज विभाग के कर्मचारी मानकर राज्य सरकार के कर्मचारियों के दायरे में लिया जाकर समस्त सेवालाभ एवं परिलाभ दिये गये एवं दिनांक 01.01.1996 से सेवाएं नियमित की गई। तत्समय राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1989 प्रभावी थे। जिसके तहत नियमित हेण्डपम्प मिस्त्रीयों को प्रथम अनुसूचि अनुभाग के अनुसार वेतन–श्रृंखला 750–940 (1) स्वीकृत की गई। जबकि अपीलार्थी कुशल एवं तकनीकी पद का कर्मचारी है।

जिसके लिए वेतन श्रृंखला 800–1250 (3) का प्रावधान है, लेकिन अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 800–1250 (3) स्वीकृत नहीं कर बेलदार की वेतन श्रृखला 750–940 देय की गई है। अपीलार्थी कुशल हैण्डपंप मिस्त्री है एवं तकनीकी पद पर कार्यरत है। वर्कचार्ज कर्मचारियों को स्थाई किए मिस्त्रियों को 910–1530 चेतन श्रृंखला दी गई। पीएचईडी के प्लबर द्वितीय को 950–1680 की वेतन श्रृंखला स्वीकृत है। अपीलार्थी के समकक्ष अन्य कार्मिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष याचिका दायर कर वेतन श्रृंखला 800–1250 का लाभ दिनांक 01.01.1996 से देने एवं 9–18–27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ तदनुसार देने हेतु याचिका दायर की, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2014 को निस्तारित की गई। अपीलार्थी वेतन श्रृंखला 800–1250 प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी को दिनांक 01.01.1996 से वेतन श्रृंखला 800–1250 पर नियमित किया जाकर आगामी 9–18–27 वर्षीय सेवालाभ उक्त वेतन श्रृंखला के आधार पर देय किया जाकर समस्त सेवालाभ एवं परिलाभ दिलाये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी दैनिक वेतनभोगी हेण्डपम्प मिस्त्री के रूप में कार्यरत था, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में सेवाओं को नियमित किये जाने के संबंध में उनकी सेवाओं को नियमित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है और वेतन आहरित किया जा रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में जारी कर संविदा पर कार्यरत हेण्डपम्प मिस्त्रियों की सेवाएं नियमित किये जाने हेतु आदेश दिनांक 30.12.1995 जारी कर अपीलार्थी की सेवाएं नियमित की जा चुकी है। आदेश दिनांक 30.12.1995 में इनको वेतन श्रृंखला 750–940 दिनांक 01.01.1996 से देय की गई है। लिहाजा वेतनमान 800–1250 के वेतन की मांग करना न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी ने सेवा नियमितीकरण के तहत कार्यग्रहण करने के 20 वर्ष बाद आलोच्य आदेश को चुनौती दी है। नियमितीकरण की योजना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में जारी की गई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर

बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में संविदा हेण्डपम्प मिस्त्रीयों को उनकी सेवाओं के नियमितीकरण के समय स्वीकृत की गई वेतन श्रृंखला 750–940 (1) के स्थान पर वेतन श्रृंखला 800–1250 (3) प्रदान करने एवं तदनुसार 9–18–27 वर्षीय चयनित वेतनमान एवं अन्य परिलाभों का अनुतोश चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी हेण्डपम्प मिस्त्री के पद पर पंचायत समिति अराई में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत था। संविदा पर कार्यरत हैण्डपंप मिस्त्रियों की सेवाओं के नियमितिकरण करने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस बी सिविल रिट पीटिशन संख्या 4656/1990 राधेश्याम धोबी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य तथा अन्य कई याचिकाएं दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन संविदा पर कार्यरत हैण्ड पंप मिस्त्रियों की सेवाओं को नियमित करने के संबंध में आदेश दिनांक 26.08.1991 द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया :–

"The Writ Petitons are, therefore, allowed in part. The Respondents are directed to pay minimum wages as declared by the Government of Rajasthan to the petitioners and the memeber of the petitioner unions with effect from 1.1.91 . This date has been chosen for the purpose of uniformity. The Respondents are directed to formulate a scheme for regularisation of the services of the hand pump Mistrics employed on various Panchayat Samities in the State of Rajasthan within a period of six months and then takes steps for regularisation of services of these persons within next two months. The claim of the petitoners for grant of salary at par with mistries in Public Health and Engineering Department is rejected. Parties are left to bear their own costs."

माननीय उच्च न्यायालय के एकलपीठ के निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा डीबी स्पेशल अपील (रिट) संख्या 528/1991 राजस्थान राज्य एंव अन्य बनाम राधे याम माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर मे पेश की गई। जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17.08.1993 द्वारा खारिज कर दिया। राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी (सी) संख्या 409–410ध1995 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम रत्न लाल गोहर प्रस्तुत की गई। जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.08.1995 द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त के पश्चात ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा अपीलार्थी एवं राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों में कार्यरत संविदा हैण्डपंप मिस्त्रियों को उक्त न्यायालय निर्णयों की अनुपालना में कुशल श्रमिकों को

देय न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान किये जाने के आदेश दिनांक 17.10.1995 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया। तत्पश्चात विभिन्न पंचायत समितियों में कार्यरत संविदा हेण्डपम्प मिस्त्रीयों के सेवा नियमन हेतु आदेश दिनांक 30.12.1995 द्वारा स्वीकृति जारी की गई। उक्त जारी स्वीकृति में निम्न भार्तों पर विभिन्न पंचायत

समितियों में संविदा हेण्डपम्प मिस्त्रीयों को सेवा नियमन की स्वीकृति आदेश दिनांक 30.12.1995 जारी किया गया, जो निम्न प्रकार हैः–

''(1) जिन हैण्डपम्प मिस्त्रियों ने दो वर्ष या अधिक की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हैं उन सभी को वेतन श्रृंखला 750–940 का लाभ दिनांक 01–01–1996 से देय होगा। शेष रहे हैण्डपम्प मिस्त्रियों को दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने की दिनांक से वेतन श्रृंखला 750–940 का लाभ देय होगा।

(2) उपरोक्तानुसार सेवा का नियमन किये हुवे हैण्डपम्प मिस्त्री पंचायत समिति के कर्मचारी होंगे। इनके लिये पंचायत समिति एवं जिला परिषद हैण्डपम्प मिस्त्री सेवा नियम अलग से बनाये जायेंगे।''

उक्त आदेश के आधार पर विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा अपने स्तर पर कार्यरत संविदा हैण्डपंप मिस्त्रियों की सेवाएं नियमितीकरण के आदेश जारी किये गये। अपीलार्थी के संबंध में पंचायत समिति अराई द्वारा जारी आदेश अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। तत्पश्चात पंचायतीराज विभाग द्वारा समय–समय पर इनके सेवा और परिलाभों के संबंध में आदेश जारी किये गये जो अनुलग्नक–4 एवं 5 पर उपलब्ध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.08.1991 द्वारा अंपीलार्थी की सेवाओं को नियमित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को एक योजना बनाकर सेवाएं नियमित किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। जिसमे क्रम मे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 30.12.1995 (अनुलग्नक–2) द्वारा सेवाएं नियमित की गई। संबंधित सेवा नियमों में इस पद को शामिल करने हेतु 05.07.2006 को अधिसूचना जारी की गई, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में संशोधन किया जाकर हैण्डपम्प मिस्त्रीयों को उक्त नियमों की अनुसूची में नई अनुसूची कम संख्या –(6) क को जोड़ा गया जो निम्नानुसार हैः–

''7. अनुसूची का संशोधनः– उक्त नियमों के नियम 296 के पश्चात् संलग्न अनुसूची में विद्यमान क्र. स. 6 के पश्चात् निम्नलिखित नयी क सं 6–क अन्तःस्थापित की जायेगी अर्थात् :–

क्र सं	पद का नाम और वेतनमान	प्रति ात सहित भर्ती का स्रोत		सीधी भर्ती हेतु अर्हता एवं अनुभव	पदोन्नति		अभ्युक्तियां
		सीधी भर्ती	पदोन्नति		पदा जिससे पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा	पदोन्नति हेतु अर्हता या अनुभव	
1	2	3	4	5	6	7	8
6–क	हैण्ड पम्प मिस्त्री (2550–3200) वेतनमान सं 1	–	–	पंचावी कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ट्राईसेम कार्यक्रम में तीन मास का प्रशिक्षण। या हैण्ड पम्प की मस्मत करने में दो वर्ष का अनुभव रखने वाला स्वच्छन्द हैण्ड पम्प मरम्मतकर्ता	–	–	पद राज्य सरकार के आदेश सं. एफ. 13(147)/विधि/ग्राविप/हाईकोर्ट/94/3882/दि.30.12.1995 कि अनुसार पंचायत समितियों में नियमित हेण्ड पम्प मिस्त्रियों में से भरा जायेगा।

साथ ही इस अधिसूचना द्वारा हेण्डपम्प मिस्त्रियों हेतु निर्धारित अर्हता और अनुभव एवं भर्ती के संबंध में प्रावधान किया गया है। उक्त अधिसूचना के अनुसार हेण्डपम्प मिस्त्रियों को मंत्रालयिक सेवा में विद्यमान पद के साथ जोडा गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा हेण्डपम्प मिस्त्रियों को मंत्रालयिक सेवा संवर्ग में शामिल किया गया है, जबकि उनको स्वीकृत वेतनमान चतुर्थ श्रेणीध्बेलदार के समकक्ष है। अतः उनको मंत्रालयिक वेतन श्रृंखला के अनुसार वेतनमान 800–1250 (3) स्वीकृत की जावे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया कि राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1989 में गैर–अभियांत्रिकी विभाग में मिस्त्रियों हेतु 800–1250 वेतनमान नियत किया गया है, जबकि अपीलार्थी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में कार्यरत है, जो गैर–अभियांत्रिकी विभाग है। हेण्डपम्प मिस्त्रियों का पद चतुर्थ श्रेणी ६ बेलदार के समकक्ष नहीं होने से संबंधी सेवा नियमों में इसे मंत्रालयिक सेवा में शामिल किया गया है। इस कारण वेतनमान 800–1250 दिये जाने का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। बहस में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य कार्मिक द्वारा दायर रिट संख्या 1163/2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश पारित कर निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी दैनिक वेतनभोगी हेण्डपम्प मिस्त्री था। जिसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में सेवाओं को नियमित किये जाने के संबंध में

उनकी सेवाओं को नियमित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा सेवाओं के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है और वेतन आहरित किया जा रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.12.1995 की पालना में संविदा पर कार्यरत

हेण्डपम्प मिस्त्रियों की सेवाएं नियमित किये जाने हेतु योजना बनाकर आदेश जारी कर अपीलार्थी की सेवाएं नियमित की जा चुकी है। लिहाजा वेतनमान 800–1250 के वेतन की मांग करना न्यायोचित नहीं है एवं साथ ही वर्तमान अपील अत्यंत विलंब से बिना किसी कारण के स्पष्ट किये हुए प्रस्तुत की गई है। इस आधार पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस के दौरान यह निवेदन किया कि अधिकरण को किसी पद हेतु विशेष वेतन श्रृंखला प्रदान करने संबंधी प्रकरणों का क्षेत्राधिकार नहीं है। उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1086/2014 एवं अन्य संलग्न अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2014 की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है:–

"26- The classfication of posts and determinaiton of pay structure comes within the exclusive domain of the Executive and the Tribunal cannot sit in appeal over the wisdom of the Executive in prescribing certain pay structure and grade in a particular service. There may be more grades than one in a particular service."

इसी निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

"32. In view of the findings recorded above we hold that Data Entry Operators Grade-A are not entitled for Scale of pay of Rs.1350-2200 w.e.f. 1.1.1986 or therefore merely on the basis of their qualifications or for the fact that they have completed their period of requisite service. We further hold that any decision rendered by any Tribunal or any High Court contrary to our decision is wrong. Further in view of the reasons and findings recorded above while we hold that the respondents are not entitled to

the benefit as they sought for before the Tribunal or the High Court in favour of the respondents being illegal are setg aside."

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की तरफ से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 8329/2011 यूनीयन ऑफ इण्डिया बनाम इण्डियन नेवी सिविलियन डिजाइन ऑफिसर्स एसोसियन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2023 की तरफ भी ध्यान आकर्शित किया। इसमें यह अभिनिर्धारित किया हैः–

"13. In Union of India through Secretary, Department of Personnel, Public Grievances and Pensions and Anr. Vs. T.V.L.N Mallikarjuna Rao, this Court reiterated the said position: -

"26. The classification of posts and determination of pay structure comes within the exclusive domain of the executive and the Tribunal cannot sit in appeal over the wisdom of the executive in prescribing certain pay structure and grade in a particular service. There may be more grades than one in a particular service."

14. In view of the afore-stated legal position, it clearly emerges that though the doctrine "equal pay for equal work" is not an abstract doctrine and is capable of being enforced in a Court of Law, the equal pay must be for equal work of equal value. The equation of posts and determination of pay scales is the primary function of the Executive and not of the Judiciary. The Courts therefore should not enter upon the task of job evaluation which is generally left to the expert bodies like the Pay Commissions which undertake rigorous exercise for job evaluation after taking into consideration several factors like the nature of work, the duties, accountability and responsibilities attached to the posts, the extent of powers conferred on the persons holding a particular post, the promotional avenues, the Statutory rules governing the conditions of service, the horizontal and vertical relativities with similar jobs etc. It may be true that the nature of work involved in two posts may sometimes appear to be more or less similar, however, if the

classification of posts and determination of pay scale have reasonable nexus with the objective or purpose sought to be achieved, namely, the efficiency in the administration, the Pay Commissions would be justified in recommending and the State would be justified in prescribing different pay scales for the seemingly similar posts. A higher pay seale to avoid stagnation or resultant frustration for lack of promotional avenues or frustration due to longer duration of promotional avenues is also an acceptable reason for pay differentiation. It is also a well-accepted position that there could be more than one grade in a particular service. The classification of posts and the determination of pay structure, thus falls within the exclusive domain of the Executive, particular officer, and the Courts or Tribunals cannot sit in appeal over the wisdom of the Executive in prescribing certain pay structure and grade in a particular service."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

"17. The powers of judicial review in the matters involving financial implications are also very limited. The wisdom and advisability of the Courts in the matters concerning the finance, are ordinarily not amenable to judicial review unless a gross case of arbitrariness or unfairness is established by the aggrieved party.

18. In that view of the matter, we are of the opinion that the Tribunal and the High Court had committed gross error in interfering with the pay scales recommended by the Fifth Central Pay Commission and accepted by the appellant for the posts of JDOS and CTOS, and in upgrading the pay scale of JDOS making it equivalent to the pay scale of CTOS.

19. Consequently, the impugned orders passed by the High Court and the Tribunal are quashed and set aside. The appeal stands allowed accordingly."

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/तथ्यों के विवेचन एवं उभयपक्ष के तर्कों से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण संविदा पर दैनिक मजदूरी पर हेण्डपम्प मिस्त्रियों के

रूप में कार्यरत थे, जिन्हें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में इनकी सेवाओं को नियमित करने हेतु योजना बनाकर आदेश दिनांक 30.12.1995 द्वारा दिनांक 01.01.1996 से वेतन श्रृखंला 750–940 (1) में सेवा नियमित की गई। अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार की 11. अधिसूचना दिनांक 05.07.2006 जिसमें सेवानियम में हेण्डपम्प मिस्त्रियों को मंत्रालयिक सेवा में शामिल करने के आधार पर वेतन श्रृखंला 800–1250 स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया है। हमारा यह विनम्र मत है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की सेवाओं को नियमित करने के संबंध में जारी आदेश दिनांक 26.08.1991 में अपीलार्थीगण को पी.एच.ई.डी. विभाग में मिस्त्री पद के बराबर वेतन दिये जाने का अनुतोष अस्वीकार किया गया है और राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि उनकी सेवाओं को नियमितीकरण करने हेतु योजना बनाकर सेवाएं नियमित की जावे। जिसकी पालना में राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 30.12.1995 जारी किया जाकर अपीलार्थीगण की सेवाओं को नियमित किया जा चुका है एवं अपीलर्थी ने उसे स्वीकार कर कार्यग्रहण कर लिया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पी.एच.ई.डी. विभाग के मिस्त्री के बराबर वेतन देने के अनुतोष को अस्वीकार किया गया है। अतः उक्त न्याय निर्णय के दृष्टिगत अपीलार्थीगण द्वारा इस बिदु पर दायर अपील स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 10862/2014 एवं सिविल अपील संख्या 8329ध्2011 में अभिनिर्धारित सिद्धांत के दृष्टिगत भी यह अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अतः उक्त विधिक स्थिति एवं तथ्यात्मक विवेचन के दृष्टिगत अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 08.02.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य